न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 633 / 2022

अपीलांट — बनाम — रेस्पोडेन्ट्स

रामजीवन पुत्र स्व0 मूलाराम
जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम हरिओम
नगर, भीकमकोर, तहसील ओसियां
जिला जोधपुर

1. रिडमल राम पुत्र हिरकनराम
2. माणकराम पुत्र हिरकनराम
3. तेजाराम पुत्र हिरकनराम
4. शंकरलाल पुत्र हिरकनराम
5. जोगाराम पुत्र हिरकनराम
6. पुखाराम पुत्र हिरकनराम
7. बीरमा पुत्र हिरकनराम
   (सभी जाति विश्नोई, निवासी सिरमण्डी, तह0 ओसियां, जोधपुर)
8. रूकमा पत्नी स्व0 घेवरराम
9. माडू पत्नी स्व0 सोनाराम (**नाम विलोपित**)
   (जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम हरिओम नगर, भीकमकोर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर)
10. रामेश्वर पुत्र स्व0 मूलाराम
11. देवाराम पुत्र स्व0 मूलाराम के कायम मुकाम –
    11/1 समदूदेवी पत्नी स्व0 देवाराम
    11/2 सहीराम पुत्र देवाराम
    11/3 उषा पुत्री स्व0 देवाराम
    (प्रत्यर्थी सं0 11/2 से 11/3 अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता समदूदेवी पत्नी स्व0 देवाराम)
12. भोमाराम पुत्र मूलाराम
13. प्रेमाराम पुत्र मूलाराम
14. पानी पत्नी स्व0 मूलाराम (**नाम विलोपित**)
    (जाति ब्राह्मण, निवासी हरिओम नगर, भीकमकोर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर)
15. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां (जोधपुर)

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर दिनांक 13.06.2016 राजस्व अपील संख्या 14/2015 अनवान रामजीवन बनाम रिडमलराम वगैरा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उपस्थित—

1. श्री लाधूराम पूनिया, वकील अपीलाण्ट
2. रेस्पो0 सं0 1 से 8 व 10 से 13 बावजूद सूचना एवं नोटिस तामिल के अनुपस्थित
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 15

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

निर्णय

दिनांक 23.04.2024

यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट ने अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 14/2015 अनवान रामजीवन बनाम रिडमल वगैरा में पारित आदेश दिनांक 13.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम करनाणियों की ढाणी, तहसील ओसियां के खसरा संख्या 101 रकबा 160.16 बीघा एवं खसरा संख्या 121 रकबा 54.17 बीघा कुल रकबा 215.13 बीघा किस्म बारानी द्वितीय का नामान्तरकरण संख्या 259 माडू बेवा सोनाराम 1/2 हिस्सा घेवरराम पि0 नथूराम, रामेश्वर, देवाराम, रामजीवन, भोमाराम, प्रेमाराम पि0 मूलाराम पानी बेवा मूलाराम 1/2 हिस्सा जाति ब्राह्मण सा0देह खातेदार के नाम दर्ज थी। जो पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 22.12.2004 के आधार पर तहसीलदार ओसियां द्वारा पारित नामान्तरकरण सं0 259 दिनांक 28.10.2004 रिडमलराम, माणकराम, तेजाराम, शंकरलाल, जोगाराम, पुखाराम, बीरमाराम पि0 हिरकनराम के नाम खसरा संख्या 101 रकबा 40.04 बीघा दर्ज हुई। उक्त ना0क0 में शेष खसरान की भूमि 120.12 बीघा की हिस्सेदारी का अंकन नही किया गया। इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण सं0 431 खातेदार घेवरराम की फौतेदगी के पश्चात उसके वारीस के नाम सरपंच ग्राम पंचायत भीकमकौर द्वारा स्वीकृत किया गया। तहसीलदार ओसियां द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 259 दिनांक 28.10.2004 के विरूद्ध वर्तमान अपीलांट—रामजीवन द्वारा राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत राजस्व प्रथम अपील संख्या 14/2015 में पारित निर्णय दिनांक 13.06.2016 द्वारा खारिज कर, अपीलाधीन दोनो ना0क0सं0 259 व 431 को यथावत रखा गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया कि ग्राम करनाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 101 एवं खसरा संख्या 121 की कृषि भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 8 से 14 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। हल्का पटवारी ने बेचान दस्तावेज के आधार पर खोले गये नामान्तरकण संख्या 259 के कॉलम सं0 14 व 15 में बेचान करने वाले खातेदार का नाम व उसके हिस्से में से बेचान किये गये रकबे को कम कर, शेष रकबा भूमि के हिस्से का अंकन नही किया गया। इस प्रकार बेचान भूमि सभी खातेदारान के हिस्से में कम कर दी गई, जबकि बेचाननामा सभी खातेदारान द्वारा निष्पादित नही किया गया। उक्त स्वीकृत नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसे लोक अदालत कैम्प ओसियां में समझौते के लिए रखी गई। समझौते के लिए विपक्षी पक्षकार नही आए, तब अपीलार्थी को पत्रावली मुख्यालय पर उसके अभिभाषक की हाजरी में रखा जाना बताया। इसके बाद अपीलार्थी अपने ग्राम चला गया, बाद में मालूम हुआ कि अपील एकतरफा खारिज कर दी गई है। अपीलाधीन ना0क0सं0 259 पारित करने से पूर्व सह–खातेदारान को सूचना/सुनवाई का अवसर नही दिया गया। रेस्पो0सं0 1 से 7 के पक्ष में बेचान खातेदार घेवरराम पुत्र नथूराम द्वारा गया था, जिसे सभी खातेदारान के हिस्से की भूमि में कम कर दिया गया, जो प्रारंभ से ही शून्य है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनने का गलत उल्लेख किया है, अपीलार्थी की कोई सुनवाई नही की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश 13.06.2016 एवं अपीलाधीन जैर ना0क0स0 259 दिनांक 28.10.2004 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

रेस्पो0सं0 1 से 8 व 10 से 13 बावजूद सूचना एवं नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एकतरफा सुनवाई कर गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में ग्राम करनाणियों की ढाणी, तहसील ओसियां के खसरा संख्या 101 रकबा 160.16 बीघा एवं खसरा संख्या 121 रकबा 54.17 बीघा कुल रकबा 215.13 बीघा किस्म बारानी द्वितीय का नामान्तरकरण संख्या 259 माडू बेवा सोनाराम 1/2 हिस्सा घेवरराम पि0 नथूराम, रामेश्वर, देवाराम, रामजीवन, भोमाराम, प्रेमाराम पि0 मूलाराम पानी बेवा मूलाराम 1/2 हिस्सा जाति ब्राह्मण सा0देह खातेदार के नाम दर्ज थी। जो सह–खातेदार घेवरराम पुत्र नथूराम द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 22.12.2004 के आधार पर तहसीलदार ओसियां द्वारा नामान्तरकरण सं0 259 दिनांक 28.10.2004 रिडमलराम, माणकराम, तेजाराम, शंकरलाल, जोगाराम, पुखाराम, बीरमाराम पि0 हिरकनराम के नाम खसरा संख्या 101 रकबा 40.04 बीघा दर्ज हुई। उक्त ना0क0 में शेष खसरान की भूमि की हिस्सेदारी का अंकन नही किए जाने से प्रथम दृष्टया विधिसम्मत नही है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में नजर अंदाज किया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर द्वारा राजस्व अपील सं0 14/2015 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2016 एवं अपीलाधीन जैर नामान्तरकरण सं0 259 दिनांक 28.10.2004 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण तहसीलदार ओसियां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पंजीबद्ध बेचाननामें के आधार पर दर्ज ना0क0सं0 259 दिनांक 28.10.2004 में शेष खसरान की भूमि में सह–खातेदारान की हिस्सेदारी का विधिवत अंकन करावे।

निर्णय आज दिनांक 23 अप्रेल 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

23.04.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर